



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2812]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2019/भाद्र 5, 1941

No. 2812]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2019/BHADRA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 अगस्त, 2019

का.आ. 3079(अ).—आय तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिवर्जन करने और राजकोषीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ स्पेन की सरकार के बीच 8 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अभिसमय को संशोधित करते हुए एक प्रोटोकॉल नई दिल्ली में 26 अक्टूबर, 2012 को हस्ताक्षरित हुआ, जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध में दिया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल कहा गया है);

उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 29 दिसंबर, 2014 है, जो कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के अनुसार इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए प्रत्येक संबिदाकारी राज्य द्वारा अपेक्षित आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के पत्र की प्राप्ति के दो मास पश्चात् की है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि इसके साथ यथासंलग्न उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 58/2019/फा. सं. 503/02/1986-एफ.टी.डी-I]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य

तथा

किंगडम ऑफ स्पेन

के बीच अभिसमय तथा प्रोटोकॉल, जिस पर नई दिल्ली में 8 फरवरी, 1993 को हस्ताक्षर किये गए थे, को संशोधित करने वाला भारत गणराज्य तथा किंगडम ऑफ स्पेन के बीच

प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार

और

किंगडम ऑफ स्पेन

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए किंगडम ऑफ स्पेन तथा भारत गणराज्य के बीच अभिसमय तथा प्रोटोकॉल, जिस पर नई दिल्ली में 8 फरवरी, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे और जो 12 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ (जिसे इसके पश्चात "अभिसमय" कहा जाएगा) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल (जिसे इसके पश्चात "संशोधनकारी प्रोटोकॉल" कहा जाएगा) संपन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

अनुच्छेद 2 (शामिल कर) के पैराग्राफ 3(क) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(क) स्पेन में :

- (i) व्यक्तियों पर आयकर;
- (ii) निगम कर;
- (iii) अतिवासियों पर आयकर; तथा
- (iv) पूंजी कर;

(जिसे इसके बाद "स्पेनिश कर" कहा जाएगा)।"

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ (सहयोगी उद्यम) को पैराग्राफ 1 के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस पैराग्राफ के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा :

"2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।"

अनुच्छेद 3

अभिसमय के अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) को हटा दिया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय

प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं।

पूर्ववर्ती पैराग्राफों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- ख) ऐसी सूचना (दस्तावेजों तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आईर पब्लिक)।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) के बाद एक नया अनुच्छेद 28क निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद - 28क

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार के प्रतिकूल नहीं है, अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं, के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए लागू इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, चाहे जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में उसी रूप में इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य किसी समय सीमा के अध्यक्षीन नहीं होगा। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरा संविदाकारी राज्य संगत राजस्व दावे को वसूल करके प्रथमोल्लिखित राज्य को भेजता है, संगत राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य से दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा अथवा हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;

ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हों।”

अनुच्छेद 5

अनुच्छेद 28क (करों की वसूली में सहायता) के बाद एक नये अनुच्छेद 28ख को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद- 28 ख

लाभों का परिसीमन

1. संविदाकारी राज्य घोषणा करते हैं कि कानून के दुरुपयोग के संबंध में (जिसमें कर संधियां शामिल हैं) उनके स्वदेशी नियमों एवं प्रक्रियाओं को ऐसे दुरुपयोगों से निपटने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

2. यह समझा जाता है कि इस अभिसमय के तहत लाभ ऐसे व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे, जो दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त की गई आय की मदों का हितभागी स्वामी नहीं है।

3. यह अभिसमय संविदाकारी राज्यों को स्वदेशी नियंत्रित विदेशी सहयोग (सीएफसी) नियमों को लागू करने से नहीं रोकता।

4. इस अभिसमय के अंतर्गत लाभ किसी संविदाकारी राज्य के निवासी को अथवा ऐसे निवासी द्वारा किए गए किसी लेन-देन के संबंध में उपलब्ध नहीं होंगे, यदि ऐसे निवासी की अथवा उसके द्वारा किए गए किसी लेन-देन के सृजन, मौजूदगी, अंतर्वेशन, पंजीकरण अथवा उपस्थिति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन इस अभिसमय के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करना था, जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होंगे।”

अनुच्छेद 6

प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 10 के बाद, एक नये पैराग्राफ को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“11. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 28 (सूचना का आदान-प्रदान) अनुमति प्रदान करता है कि संविदाकारी राज्य उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अन्य तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के लिए सुसंगत हो सकते हैं, जैसे कि एक साथ जांच करना, विदेश में कर जांच करना और उद्योग-वार सूचना का आदान-प्रदान:

- (i) प्रत्येक संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कानूनों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार, और;
- (ii) बशर्ते कि दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अभिसमय के अनुच्छेद 27 के पैराग्राफ 3 के अनुसार किसी प्रक्रिया पर सहमति हुई हो।”

अनुच्छेद 7

प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 11 के बाद एक नये पैराग्राफ को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“12. अनुच्छेद 28क के संबंध में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 28क (करों की वसूली में सहायता) के पैराग्राफ 4 में, किसी व्यक्ति के प्रति राजस्व दावे को दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अनुसार उठाने से पहले परिसम्पत्तियों को अनुपलभ्य करके संरक्षणता के अंतरिम उपाय शामिल होंगे।”

अनुच्छेद 8

प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 12 के बाद, एक नये पैराग्राफ को निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

“13. अनुच्छेद 28ख के संबंध में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 28ख (लाभों का परिसीमन) के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित पद “लेन-देन” में सृजन, निर्धारण अथवा किन्हीं शेरों का अंतरण, ऋण दावे, परिसम्पत्तियाँ अथवा अन्य अधिकारों के लेन-देन शामिल होंगे, जहां, ऐसे सृजन, निर्धारण अथवा अंतरण का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन इस अभिसमय का लाभ लेना था।”

अनुच्छेद 9

1. संविदाकारी राज्यों की सरकार राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए प्रत्येक संविदाकारी राज्य द्वारा अपेक्षित आंतरिक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है।

2. संशोधनकारी प्रोटोकॉल पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बाद की अधिसूचना की प्राप्ति के बाद दो महीने में लागू होगा और इसका निम्न प्रभाव होगा :

- (i) स्रोत पर रोके गए करों के मामले में इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख को अथवा इसके बाद अदा की राशियों के संबंध में;
- (ii) अन्य करों के मामले में, इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले कराधेय वर्षों के लिए लगाए गए करों के संबंध में;
- (iii) सभी अन्य मामलों में, उस तारीख को अथवा उसके बाद, जिसमें संशोधनकारी प्रोटोकॉल लागू होता है।

3. इस अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के उपबंध अनुच्छेद में उल्लिखित किसी सूचना के संबंध में लागू होंगे, भले ही ऐसे मामले इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख अथवा इसके किसी भी उपबंधों के लागू होने की तारीख से पहले के हों।

4. इस अनुच्छेद के उपबंधों के होते हुए भी, इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के उपबंध इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने से पहले प्रवर्तनीय राजस्व दावों पर लागू नहीं होंगे। इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद जारी किए गए राजस्व दावों के संबंध में ये तभी लागू होंगे, यदि राजस्व दावे उस कर वर्ष के संबंध में हों, जो उस तारीख के बाद शुरू होता है, जो उस तारीख से चार वर्ष पहले हो, जिस तारीख को संशोधनकारी प्रोटोकॉल लागू होता है।

अनुच्छेद 10

यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल, अभिसमय के लागू रहने तक लागू रहेगा।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार बारह के अक्तूबर माह के छब्बीसवे दिन हिन्दी, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भी पाठ में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ के आधार पर इसका निराकरण किया जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

किंगडम ऑफ स्पेन
की ओर से

(पी चिदम्बरम)
वित्त मंत्री

जोस मेनुएल गार्सिया - मार्गालो यी मार्फिल
विदेश एवं सहकारिता मंत्री

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2019

S.O. 3079(E).—Whereas, the Protocol, amending the Convention between the Government of the Republic of India and the Kingdom of Spain for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital which was signed at New Delhi on the 8th February, 1993, has been signed at New Delhi on 26th October 2012, as set out in the ANNEXURE appended to this notification (hereinafter referred to as the said amending Protocol);

And whereas, the date of entry into force of the said amending Protocol is the 29th December, 2014 being the two months after the receipt of later of the notifications of the completion of the internal procedures required by each Contracting State for giving effect to the said amending Protocol in accordance with Article 9 of the said amending Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said amending Protocol, as annexed hereto, shall be given effect in the Union of India.

[Notification No. 58/2019/F. No. 503/02/1986-FTD-I]

RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy.

ANNEXURE**PROTOCOL****BETWEEN****THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE KINGDOM OF SPAIN**

**AMENDING THE CONVENTION AND THE PROTOCOL BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE KINGDOM OF SPAIN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL, WHICH WAS SIGNED AT
NEW DELHI ON 8TH FEBRUARY, 1993.**

The Republic of India

and

The Kingdom of Spain;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as "Amending Protocol") to amend the Convention and Protocol between the Republic of India and the Kingdom of Spain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, which was signed at New Delhi on 8th February, 1993 and which entered into force on 12th January, 1995 (hereinafter referred to as "the Convention");

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 3(a) of Article 2 (Taxes Covered) shall be deleted and replaced by the following:

"(a) in Spain :

1. the income tax on individuals;
2. the corporation tax;
3. the income tax on non residents; and
4. the capital tax;

(hereinafter referred to as "Spanish tax")."

Article 2

The paragraph of Article 10 (Associated Enterprises) shall be numbered as paragraph 1 and after this paragraph; the following paragraph shall be inserted:

"2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and that other State agrees that the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other."

Article 3

Article 28 (Exchange of Information) of the Convention shall be deleted and replaced by the following Article:

"ARTICLE 28

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

Article 4

After Article 28 (Exchange of Information), a new Article 28A shall be inserted as follows:

"ARTICLE 28A

Assistance in the collection of taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political sub-divisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

- (b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- (c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State."

Article 5

After Article 28A (Assistance in the Collection of Taxes), a new Article 28 B shall be inserted as follows:

"ARTICLE 28B

Limitation of Benefit

1. The Contracting States declare that their domestic rules and procedures with respect to the abuses of law (including tax treaties) may be applied to the treatment of such abuses.
2. It is understood that the benefits under this Convention shall not be granted to a person, which is not the beneficial owner of the items of income derived from the other Contracting State.
3. This Convention does not prevent Contracting States to apply domestic Controlled Foreign Corporation (CFC) rules.
4. Benefits under this Convention shall not be available to a resident of a Contracting State, or with respect to any transaction undertaken by such a resident, if the main purpose or one of the main purposes of the creation, existence, incorporation, registration or presence of such a resident or of the transaction undertaken by him, was to obtain benefits under this Convention that would not otherwise be available."

Article 6

After Paragraph 10 of the Protocol, a new paragraph shall be inserted as follows:

"11. It is understood that Article 28 (exchange of information) allows that Contracting States may use other techniques to obtain information which may be relevant to both Contracting States such as simultaneous examination, tax examination abroad and industry-wide exchange of information

- (i) in accordance with the domestic laws and administrative procedures of each Contracting State and;
- (ii) provided that a procedure has been agreed upon by the competent authorities of both Contracting States in accordance with paragraph 3 of Article 27 of the Convention."

Article 7

After paragraph 11 of the Protocol, a new paragraph shall be inserted as follows:

"12. With respect to Article 28A

It is understood that paragraph 4 of Article 28A (Assistance in the collection of taxes) will include interim measures of conservancy by freezing the assets before a revenue claim is raised against a person in accordance with the laws of both Contracting States."

Article 8

After paragraph 12 of the Protocol, a new paragraph shall be inserted as follows:

"13. With respect to Article 28B

It is understood that the term 'transaction' referred to in paragraph 4 of Article 28B (Limitation of Benefit) includes the transaction of the creation, assignment or alienation of any shares, debt-claims, assets or other rights where

the main purpose or one of the main purposes of such creation, assignment or alienation was to take advantage of this Convention."

Article 9

1. The Government of the Contracting States shall notify to each other, through diplomatic channels, that the internal procedures required by each Contracting State for the entry into force of this Amending Protocol have been complied with.

2. The Amending Protocol shall enter into force two months after receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and shall have effect:

- (a) in the case of taxes withheld at source, in respect of amounts paid on or after the date this Amending Protocol enters into force;
- (b) in the case of other taxes, in respect of taxes levied for taxable years beginning on or after the date this Amending Protocol enters into force;
- (c) in all other cases, on or after the date on which the Amending Protocol enters into force.

3. Notwithstanding the provisions of this Article, the provisions of Article 3 of this Amending Protocol shall apply in respect of any information referred to in the Article even if such matters pre-date the entry into force of this Amending Protocol or the effective date of any of its provisions.

4. Notwithstanding the provisions of this Article, the provisions of Article 4 of this Amending Protocol shall not apply to revenue claims enforceable before the entering into force of this Amending Protocol. With respect to revenue claims issued after the entering into force of this Amending Protocol, it will apply only if the revenue claims are in respect of a tax year that commences after a date that is four years before the date on which this Amending Protocol enters into force.

Article 10

This Amending Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.

Done in duplicate at New Delhi on the 26th October, 2012 in the Hindi, Spanish and English languages, all three texts being authentic. In case of divergence between any of the texts, it shall be resolved on the basis of the English text.

For the Republic of India

(P. Chidambaram)

Finance Minister

For the Kingdom of Spain

(Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil)

Minister for Foreign Affairs and Cooperation